

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 06 अभियोगों में 05 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 20000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविक्शन”* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 08.02.2024 को *सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत 01- मु0अ0सं0 855/2009 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(6) पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता - मुख्तार पुत्र मो0 याकूब साकिन बढ्यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(6) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

02- मु0अ0सं0 512/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता मो0 नियाज पुत्र फिरोज साकिन दही चौकी थाना कोतवाली जनपद उन्नाव उ0प्र0 को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

03- मु0अ0सं0 959/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता - मो0 नियाज पुत्र फिरोज साकिन दही चौकी थाना कोतवाली जनपद उन्नाव उ0प्र0 को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

04- मु0अ0सं0 280/2018 धारा 3/5/8 गोवध व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता - 1 इफराक अहमद पुत्र जमील अहमद 2. मस्त उर्फ सुहेल पुत्र तुफेल साकिनान सेमरियावा थाना दुधारा संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 05-05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

05- मु0अ0सं0 282/2018 धारा 3/5/8 गोवध व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता - 1. इफराक अहमद पुत्र जमील अहमद 2. मस्त उर्फ सुहेल पुत्र तुफेल साकिनान सेमरियावा थाना दुधारा संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 05-05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

06- मु0अ0सं0 189/2015 धारा 3/5/8 गोवध व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता - नुरुद्दीन पुत्र झीनक साकिन कोइलसा थाना दुधारा संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 08.02.2024

आज दिनांक 08.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर *डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती *श्री आर0के0 भारद्वाज* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 46 वाहनों से 41,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 46 वाहनों से 41,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 08.02.2024*

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 06 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 08.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 06 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। *थाना धर्मसिंहवा* पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

***जनपद-संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 08.02.2024*

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40000/- रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन शिकंजा* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 08.02.2024 को *ए0एस0जे0 प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2017 धारा 376 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता वाहिद अली पुत्र नियाज अली साकिन पड़रिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 376 भादवि के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा।

*“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप **गोवध निवारण अधिनियम** के तहत 05 अभियोगों में 04 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि तथा कुल 16000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविकशन”* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 08.02.2024 को *सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत 01- मु0अ0सं0 141/2000 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता - झीनक कसाई पुत्र नजीर साकिन साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

02- मु0अ0सं0 55/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व मु0अ0सं0 370/2015 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता मजीद पुत्र शमशुल हक साकिन बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मु0अ0सं0 55/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 370/2015 गोवध निवारण अधिनियम के तहत उक्त दोनो अभियोगो मे जेल में बितायी गयी अवधि व मा0 न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

03- मु0अ0सं0 1567/2014 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व मु0अ0सं0 1627/2014 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता मो0 हनीफ पुत्र मो0 सलीम 2. मो0 शमशाद पुत्र मो0 हनीफ साकिनान बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 1567/2014 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 1627/2014 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत उक्त दोनो अभियोगो मे प्रत्येक अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व मा0 न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 05-05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।